भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1871
जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया

ऊर्जा परिर्वतन समिति का गठन

1871. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्यों को उनके संबंधित मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय ऊर्जा परिवर्तन समितियों के गठन के लिए निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) त्वरित निर्णय लेने और महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन ऊर्जा परिवर्तन समितियों के उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम क्या हैं;

(ग) इन समितियों के गठन में राज्यों ने कितनी प्रगति की है और इस संबंध में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है;

(घ) भारत के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों के व्यापक संदर्भ में इन समितियों की भूमिका और उत्तरदायित्व क्या हैं; और

(ङ) इन राज्यस्तरीय ऊर्जा परिवर्तन समितियों के प्रभावी कार्यकरण को सुलभ बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय और सहायता की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने मई, 2022 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ऊर्जा पारगमन पर एक राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी) का गठन करने का अनुरोध किया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऊर्जा पारगमन संबंधी उपायों के संचालन के लिए विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी विभागों आदि के सचिव उक्त समिति के सदस्य होंगे।

ऊर्जा पारगमन हेतु राज्य स्तरीय संचालन समिति के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. राज्य स्तर पर ऊर्जा पारगमन के प्रमुख बिन्दुओं का निर्धारण
2. ऊर्जा पारगमन के लिए कार्यनीतिक रोडमैप
3. आर्थिक विकास और रोजगार सृजन
4. संबंधित राज्यों में अंतर-राष्ट्रीय उत्कृष्ट व्यवस्थाएं और निवेश के अवसर

(ग) : नवंबर, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ऊर्जा पारगमन संबंधी राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया है। राज्यों द्वारा ऊर्जा पारगमन संबंधी राज्य स्तरीय संचालन समिति बनाने में किसी भी प्रकार की चुनौती की सूचना नहीं दी है।

(घ) : ऊर्जा पारगमन हेतु राज्य स्तरीय संचालन समिति की व्यापक रूप से भूमिकाएं एवं लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य-विशिष्ट ऊर्जा पारगमन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति संबंधी दिशानिर्देश और सिफारिशें करना।
- सतत विकास को सक्षम बनाने हेतु कार्यनीतिक दिशानिर्देश देना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारियों और अन्य माध्यमों से सहयोग संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए हितधारकों हेतु एक संयोजक मंच के रूप में कार्य करना।
- ऊर्जा पारगमन से संबंधित कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास को प्रोत्साहित करते हुए स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं सहित सहायक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा पारगमन शुरूआतों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित करना।

(ङ) : विद्युत मंत्रालय द्वारा ऊर्जा पारगमन के लिए राज्य स्तरीय संचालन समितियों के सुचारू और प्रभावी कार्य प्रणाली को सक्षम बनाने, समिति के लिए मॉडल संदर्भित विषयों (टीओआर) को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो को उनके सुलभ संदर्भ के लिए भेज दी गई हैं।

****